उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

UEPPCB

क्षेत्रीय कार्यालयः आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Ph No.- 05946-225618, 221532

Ref:UEPPCB/ROH/ क्षे०का०/20/ 2949-874 दिनांक 07/01/20

QUOTATION INFORMATION

सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य हेतु मुहरबन्द कोटेशन दिनॉक 18.01.2020 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, प्राप्त कोटेशन कोटेशनदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख उसी दिन अपरान्हः 3.00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल में खोले जायेंगे।

क0स0	कार्य का विवरण	धरोहर राशि	कोटेशन की वैधता
01	क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल के भवन में रंगाई पुताई का कार्य।	रू 7,500.00/-	10 दिन
02	क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल के भवन में मरम्मत का कार्य।	रू 5,000.00/-	10 दिन

<u>कोटेशन की शर्ते–</u>

1. कोटेशनदाता को लोक निर्माण विभाग/ ग्रामिण निर्माण विभाग या अन्य राजकीय विभाग में पंजीकरण तथा काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. कोटेशन मे दरें अंको/शब्दों में अंकित होना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त दरों में अन्य संबंधित कार्य समिलित है जैसे फर्नीचर का विस्थापन/स्थापन सफेदी और पेंट के बाद सफाई आदि।
4. उपरोक्त धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डी0डी0 के रुप में Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board Payable at Haldwani के नाम से निविदा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है।
5. कोटेशन प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल से प्राप्त कर सकते है।
6. कोटेशन स्वीकृत होने पर कोटेशनदाता को वर्क ऑर्डर जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर काम पूरा करना होगा।
7. भुगतान संम्पूर्ण कार्य के संतोषजनक समापन के बाद ही किया जायेगा।
8. निर्धारित शर्तो के उल्लंधन की दशा में जमा धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को है।
9. सफल निविदा कर्ता के अतरिक्त अन्य निविदाकर्ता धरोहर राशि का डी0डी0 मूल रूप से कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
10. अपूर्ण एवं सशर्त कोटेशन स्वीकार नही किये जायेंगे तथा किसी एक अथवा समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

डा0 आर.के.चर्तुवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

<u>पत्रांक एंव दिनॉक उक्तानुसार–</u>

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी हल्द्वानी नैनीताल को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
3. नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड–नैनीताल को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. सूचना अधिकारी INVIS को बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड हेतु।
7. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Scanned by CamScanner